कर लिया वही आइटम जारी रहना चाहिए और यह सवाल नहीं आ सकता ।

डॉ० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का सवाल है । आप 369 नियम देखिए । 369 नियम में जो कुछ कागज सभा पटल पर रखे जाते हैं उन के बारे में प्रक्रिया बतायी गई है और उस के अनुसार मंत्री और सदस्य में कोई अन्तर नहीं रह जाता । जिस तरह से मंत्रियों के कागजों को आप दिन की सूची में घोषित करते हैं उसी तरह से जिन कागजों को, सदस्यों के कागजों को आप स्वीकार कर लेते हैं उन्हें भी दिन की सूची में घोषित किया करें । यह है प्रश्न । उस मे फर्क नहीं करना चाहिए । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी होने दीजिए । यह घोषणा की जरूरत क्यों होती है ? क्योंकि वह छपते तो है नही । पुस्तकालय मे उन को रख दिया जाता है । किसी को कुछ पता लग नहीं पाता है । अगर कार्य सूची मे वह दर्ज कर दिए जाय तो लोगो को पता चल जायेगा कि कौन से कागज रखे गए और 369 बिल्कुल साफ है कि कोई भी कागज या दस्तावेज जो सदन के पटल पर रखा जायेगा वह जो कोई सदस्य रखना चाहे उस के हस्ताक्षर वगैरह ले कर के होगा और ऐसे जितने कागज और दस्तावेज सभा पटल पर रखे जायेंगे वे जनता की सम्पत्ति होंगे, जन कागज होंगे । अब जन कागज कब हो सकते हैं जब तक घोषणा नहीं है भी तब तक वह जन कागज हो ही नहीं सकते । इसलिए उन की घोषणा जरूर होनी चाहिए । मैं नहीं कहता कि रखते ही घोषणा कर दीजिए । आप इम्तहान कीजिए । अगर आप उचित समझें कि उन को सदन की सम्पत्ति और जनता की सम्पत्ति समझा जाय तो आप घोषित कर दीजिए ।

Mr. Speaker: Has he finished? He may please resume his seat.

Shri Ranga (Srikakulam): The Law Minister gets up in season and out of season to come to the rescue of the Government, to say that what is being suggested is out of the four corners of the rule

Mr. Speaker: Please allow me to reply.

This point has just been raised without any notice, without anything Should they not at least give time to the Speaker? They do not give any notice, but simply get up and say that as the Ministers are permitted to lay papers on the Table of the House, they should also be permitted to lay papers on the Table This has not been the practice till now A new practice is to be evolved now Therefore, should they not give time to the Speaker to think about it, whether it is proper or not? We cannot simply make a new rule all of a sudden Let me think about it

The Minister of Law (Shri Govinda Menon) rose—

Mr. Speaker: No, no I will call him, if I have any doubt

SALAR JUNG MUSEUM (AMENDMENT) RULES, 1967

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): I beg to lay on the Table a copy of the Salar Jung Museum (Amendment) Rules, 1967, published in Notification No. G.S.R. 927 in Gazette of India dated the 17th June, 1967, under sub-section (3) of section 27 of the Salar Jung Museum Act, 1961. [*Placed in Library, See* No. LT-906/67].

NOTIFICATIONS UNDER ALL INDIA SERVICES ACT

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951:—

(i) The Indian Administrative Service (Probation) Second